


15.3.2023

72

वादीगण ने श्री ओर से पत्रावली जलब का प्रार्थना
 पत्र पेश होने पर पत्रावली आप पेशी में ली गई।
 वादीगण श्री ओर से वाद धारा (88, 188) RTI Act
 वाद विनो का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। वादीगण
 श्री ओर से उनकी पहचान हेतु स्टाफ्ट कोड
 की कोले प्रिंट पेश की। प्रार्थना पत्र पर वादीगण
 को हटा गया। तथा पत्रावली का कथ्यभंग व
 आवलोकन किया गया। अतः न्यायद्वि में वादीगण
 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा वादीगण
 को वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली के तब
 अंत ही का ~~कथ्यभंग~~ नाम पर रुक है।



महारा



अध्या



वर्ष



सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)